

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग



Citizen Services (नागरिक सुविधाओं) के बारे मे जानकारी भाग-12

भू-अभिलेख पोर्टल

राजस्व अभिलेख की स्कैन कॉपी देखने तथा डिजिटल हस्ताक्षरित कॉपी लेना हआ आसान

https://bhuabhilekh.bihar.gov.in/ को खोलें तथा "Public Login" पर क्लिक करें।



अगर आप registered User है तो अपने मोबाइल नंबर की मदद से लॉगिन करें (अगर नए user हैं तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करें)।

प्रत्येक अभिलेख के सामने देखने के लिए ''Vie
हस्ताक्षरित प्रति के लिए "Apply for Downl

ew" को क्लिक करें. तथा डिजिटल load Copy" को क्लिक करें।

3

लॉगिन के उपरांत आपको अभिलेख खोजने का विकल्प दिखाई देगा। अब आप अन्य दस्तावेज़ को चुनें तथा दस्तावेज़ से संबन्धित अन्य विवरण (जो लागू हो) यथा जिला, अंचल, मौज़ा, वाद संख्या, साल, खाता, खेसरा, पार्टी नाम इत्यादि को भर कर Search बटन पर क्लिक करें। समबन्धित अभिलेख की सूची आपको देखाई देगी।

6	~
Ċ	シ

"Apply for Download Copy" पर क्लिक करने पर आपको कौन- कौन पृष्ठ की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति लेनी है उसको भरें। आपको भुगतेय राशि दिखाई देगी, अब आप Send Application पर क्लिक करें। परदर्शित सभी सूचना से संतुष्ट होने पर Make Payment पर क्लिक करें तथा राशि का भुगतान करें।

6

भुगतान के बाद आपको एक प्राप्ति रशीद प्राप्त होगी जिसे आप भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित कर ले। आवेदन की स्थिति देखने के लिए प्रोफ़ाइल icon के अंतर्गत Track Application पर क्लिक करें तथा संबन्धित आवेदन की स्थिति देखें।

🕨 कैडस्ट्रल खतियान

- 🕨 राजस्व मानचित्र
- ≽ भू-अर्जन अभिलेख

भू-अभिलेख पोर्टल पर उपलब्ध मुख्य दस्तावेज़:

- 🕨 रिविजनल खतियान
- 🕨 दाखिल-खारिज पंजी
- 🕨 सीलिंग पंजी

- ≽ जमाबंदी पंजी प्रति
- बंदोबस्ती अभिलेख
- ≻ लगान निर्धारण अभिलेख

- 🕨 दाखिल-खारिज वाद अभिलेख
- 🕨 चकबंदी अभिलेख
- 🕨 मापी वाद अभिलेख